



भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

DENTAL COUNCIL OF INDIA

(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



No.DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2024-25/2024/206

दिनांक: 08-04-2024

To,
The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email)

विषय: **भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन एवं शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 की धारा 12.2 के अनुसार दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने वाली एंटी रैगिंग रिपोर्ट को 30.04.2024 तक डीसीआई एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड करने के संबंध में**

Sub: **MEASURES FOR CURBING THE MENACE OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS – IMPLEMENTATION OF DIRECTIONS OF HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA - information as per section 12.2 of DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009 to be upload on DCI Anti Ragging Online Module by 30.04.2024 – Regarding**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार, यह सुनिश्चित करना सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि उनके दंत संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो और इसे रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की जाए।

2. उक्त विनियम की धारा 11.3 के अनुसार संस्था के अधिकारी/प्रबंधन (ट्रस्ट, सोसाइटी आदि) विशेष रूप से संस्था के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि संस्था में रैगिंग की कोई घटना न हो। यदि रैगिंग की कोई घटना होती है, तो प्रबंधन/प्रमुख उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत और उचित कार्यवाई करेंगे, जिनके कर्तव्य में लापरवाही से घटना हुई है। ऐसे में संस्था के प्रमुख की नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी प्रमुख के खिलाफ तुरंत और उचित कार्यवाई करेगा।

3. सभी दंत संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष के शुरू होने से पहले और साथ ही सत्र के बीच में साइनबोर्ड, पैम्फलेट आदि के माध्यम से रैगिंग के खिलाफ विज्ञापन जारी करना चाहिए और साथ ही अपने संस्थानों के सभी छात्रों को एक पुस्तिका जारी करें, जिसमें रैगिंग के बारे में विवरण हो, रैगिंग के दंडनीय अपराधों, रैगिंग के लिए दंड एवं सजा, एंटी रैगिंग स्क्वाड, एंटी रैगिंग समिति (एंटी रैगिंग हेल्पलाइन), वार्डन, पुरुष और महिला छात्रावास के उप वार्डन के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर का विवरण दिया गया हो।

4. सभी दंत संस्थान अपने किसी भी संकाय सदस्य को फ्रेशर और वरिष्ठ छात्रों के बीच समन्वय करने के लिए “काउंसलर” के रूप में नामित करेंगे ताकि रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए छात्रों (परामर्शदाताओं) के बैचों को दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में नियमित रूप से बताया जा सके या समझाया जा सके और उन्हें रैगिंग के खतरे को रोकने में उनकी भूमिका को संवेदनशील बनाया जा सके।

5. आपसे यह भी अनुरोध है कि बीडीएस/एमडीएस/पीजी डिप्लोमा/पैरा डेंटल कोर्स या डीसीआई द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य कोर्स में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों (प्रथम से अंतिम वर्ष) और उनके माता-पिता/अभिभावकों से एंटी रैगिंग पर ऑनलाइन www.antiraging.in के माध्यम से वचनपत्र प्राप्त करें और फ़ाइल करें।

6. उपरोक्त के अलावा, यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि संबंधित विनियम की धारा 12.2 के अनुसार, प्रत्येक संस्थान पिछले शैक्षणिक सत्र के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अपनी एंटी रैगिंग रिपोर्ट डीसीआई मॉड्यूल के एंटी रैगिंग ऑनलाइन पोर्टल पर दर्शाये गये प्रत्येक कॉलम में सामने अपेक्षित जानकारी को अपलोड करेगा, और ऐसा न करने पर, भारतीय दंत परिषद, दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने संबंधी विनियम, 2009 की धारा 11.4 के अनुसार, निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक संयोजन के साथ दंड लगाएगा :-

- 11.4.1 दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 16ए के तहत संस्था के खिलाफ मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करना ।
- 11.4.2 संस्था की प्रवेश क्षमता को उस सीमा तक कम करना, जिस सीमा तक परिषद उचित समझे।
- 11.4.3 अगले आदेश तक संस्था में प्रवेश पर रोक लगाना ।
- 11.4.4 यूजी/पीजी डेंटल कोर्स के नवीकरण की अनुमति को रोकने के लिए ।
- 11.4.6 सभी संबंधितों की जानकारी के लिए डीसीआई की वैबसाइट पर संबंधित संस्थान पर लगाए गए दंड के संबंध में जानकारी पोस्ट करने के लिए।

7. उपरोक्त के संबंध में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के अनुरोध और दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार सभी दंत संस्थानों को **शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए एंटी रैगिंग रिपोर्ट, डीसीआई एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर निश्चित रूप से अपेक्षित जानकारी 30.04.2024 तक अपलोड करना अनिवार्य है और उक्त एंटी रैगिंग रिपोर्ट, डीसीआई एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड करने के लिए <https://portal.dciindia.gov.in/login> लिंक का उपयोग करे।** यदि जानकारी डीसीआई एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर 30.04.2024 तक अपलोड नहीं की जाती है, तो दोषयुक्त संस्थान/महाविद्यालय का नाम उक्त निगरानी समिति को उचित कार्यवाई के लिए भेजा जाएगा, जैसा भी उक्त निगरानी समिति द्वारा उचित और सही समझा जाए, उनका नाम डीसीआई की वैबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे ।

8. कृपया इसे 'अति तत्काल' समझा जाए।

9. भारतीय दंत परिषद किसी भी प्रकार की रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करती है।

Sir/Madam,

I am directed to say that as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, it is the responsibility of all the institution to ensure that no incident of ragging takes place in their dental institution and measures taken to curb it may be reviewed.

2. As per section 11.3 of the aforesaid regulations, the authorities/Management (Trust, Societies, etc.) of the institution, particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging takes place, the Management/Head shall take prompt and appropriate action against the person(s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the head.

3. All dental institutions should issue advertisements against ragging through signboards, pamphlets etc. before the commencement of academic year as well as during the midst of the session and also to issue

booklets to all the students of your Institutions containing the details about what constitutes ragging, punishable ingredients of ragging, punishments and penalty for ragging, names and mobile numbers of the members of the Anti Ragging Squad, Anti Ragging Committee (Anti Ragging Helpline), Wardens, Deputy Wardens of Men's and Women's hostel.

4. All dental Institutions shall designate any of their faculty member(s) as "Counsellor" for fresher and senior students to co-ordinate the batches of students (Counselees) regularly about day-to-day problems and also to sensitize their role in curbing the menace of ragging.

5. You are further requested to obtain and file undertaking, on Anti Ragging, from all parents/guardians and students (1st year to final year) studying in BDS/MDS/PG Diploma/Para Dental Courses or any other course approved/recognized by DCI, online through www.antiragging.in

6. Besides above, it is also pertinent to mentioned here that, as per section 12.2 of subject regulations, each and every institution shall upload its reports on the DCI Anti Ragging online Module by 30th April of every year in respect of the previous academic session, indicating the requisite information against each column thereof, failing which the Dental Council of India, as per section 11.4 of Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall impose any one or any combination of the following penalties on it:-

- 11.4.1. To initiate the derecognition process against the institution under section 16A of the Dentists Act, 1948
- 11.4.2 To reduce the admission capacity of the institution to the extent to which the Council deem fit.
- 11.4.3 To stop further admission in the institution till further orders.
- 11.4.4 To stop renewal of permission in respect of UG/PG Dental Courses.
- 11.4.6 To post the information regarding penalties so imposed on the concerned institution on the website of DCI for information of all concerned.

7. In view of the above, I am directed to say that it is mandatory for all the institutions to upload the Anti Ragging Report on the DCI Anti Ragging Online Module by using the <https://portal.dciindia.gov.in/login> link, as per request of the Monitoring Committee appointed by the Hon'ble Supreme Court of India and as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, **for the academic session 2024-2025 latest by 30.04.2024, positively. In case the requisite information is not uploaded by 30.04.2024 on DCI Anti Ragging Online Module**, the name of defaulting institution will be forwarded to the said Monitoring Committee for such appropriate action as may be deemed fit and proper by the said Hon'ble Monitoring Committee, and their names will also be uploaded on DCI Website.

8. This may kindly be treated as 'Most Urgent'.

9. The Dental Council of India ensures Zero Tolerance against ragging of any sort.

भवदीय / Yours faithfully,

विनय गुप्ता (Vinay Gupta)
उप सचिव / Deputy Secretary
भारतीय दंत परिषद / Dental Council of India

Copy for information to:-

1. Smt. Jasleen Kaur, (via Email)
Under Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Education, Department of Higher Education (U.5 section),
New Delhi, Delhi - 110001.
u5.moehe1@gmail.com

2. Prof. Manish R. Joshi, (via Email)
Secretary, UGC,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi, Delhi - 110001.
joshmanish@gmail.com

3. Dr. S.K. Katharia, (via Email)
Dental Surgery Department,
S.N. Medical University,
Agra, Uttar Pradesh - 282003.
katharia_sk@yahoo.com

4. Colonel Vipin Kaushal, (via Email)
Joint Secretary,
UGC NET Office, South Campus of Delhi University,
New Delhi, Delhi - 110001.
vipinkaushal@ugc.gov.in

विनय गुप्ता (Vinay Gupta)
उप सचिव / Deputy Secretary
भारतीय दंत परिषद / Dental Council of India

प्रतिलिपि / CC:-

अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली / The President, Dental Council of India, New Delhi